AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन का विश्लेष्णात्मक अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
प्रो. दिप्ती साहू
वाणिज्य विभाग
शासकीय के. आर. डी. महाविद्यालय
नवागढ़, बेमेतरा, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

सदी के अंत में जबलपुर बीड़ी उद्योग के उद्भव ने उपर्युक्त बीड़ी आवरणों की मांग को जन्म दिया जिसके परिणाम स्वरूप तेंदूपत्ते का चयन हुआ और यह एक अत्याधिक मूल्यवान वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में उभर कर सामने आया। इस प्रकार मध्यप्रदेश तेंदूपत्ते के व्यापार का मूल स्थान है। स्वतंत्रता–पूर्व काल से लेकर 1960 के दशक के माध्यम तक वन विभाग संभाग स्तर पर तेंदूपत्ता संग्रहण अधिकारों की नीलामी करता था और फिर ठेकेदार स्थानीय ग्रामीणों को मजदूर के रूप में इस्तेमाल करके तेंदूपत्ता एकत्रित करने की व्यवस्था करते थे। निजी जमीनों पर भी काफी मात्रा में तेंदूपत्ता उगाया जाता था। 1964 में निजी जमीनों से सटी सरकारी जमीनों से चोरी और निजी तेंदूपत्ता संग्राहको का शोषण करते हुए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता अधिनियम 1964 पारित किया। जिसने निजी जमीनों पर उगाए गए तेंदूपत्ता सहित सभी तेंदूपत्ता की बिक्री परिवहन को सरकार के नियंत्रण में ला दिया इसलिए इसे आमतौर पर तेंदूपत्ते का राश्ट्रीयकरण कहा जाता है। अंततः तेंदूपत्ता तोड़ने वालों की दुर्दशा जिन्हे इस दौरान बहुत कम पैसा मिल रहा था, कम से कम एक राजनितिक दल का ध्यान खीचा जिसने भी तेंदूपत्ता ठेकेदार की शक्ति का लाभ नहीं उठाया और संभवतः पूर्वी मध्यप्रदेश में नक्सलवाद के प्रसार को लेकर चिंतित थे। इस प्रकार सरकार ने सबसे पहले 1984 में एक राज्य स्तरीय सहकारी संघ बनाया और फिर 1988–89 में पूरे तेंदूपत्ता संग्रह और बिक्री प्रक्रिया को सहकारी बनाने की प्रक्रिया शुरू की। एक वर्ष के भीतर तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश में 1947 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां स्थापित की गयी। राज्य 1988 की तुलना में तेंदूपत्ता तोड़ने वालो की मजदूरी में 55 प्रतिशत की वृद्धि की और सरकार (MFPAFED) ने 290 करोड़ का लाभ कमाया जिसमें से 150 करोड़ रूपये प्रोत्साहन के रूप में तेंदूपत्ता तोड़ने वालो के बीच वितरित किये गये।

मुख्य शब्द

तेंदूपत्ता, वाणिज्यिक उत्पाद, प्राथमिक वनोपज, आदिवासी जनजाति, औषधीय गुणवत्ता, वन संवर्धन.

परिचय

वनों की गौण उपज में तेंदूपत्ता का विशिष्ट स्थान है। तेंदूपत्ता एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला पौधा है। इसके पत्तो से बीड़ी बनायी जाती है। भारतवर्ष में तेंदूपत्ता के पौधे मुख्यता छत्तीसगढ़ तथा उसकी सीमा से लगे हुए राज्यों मध्यप्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश जैसे राज्यों में पाये जाते है। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता सरगुजा संभाग (उत्तर) एवं बस्तर संभाग में अधिक पाया जाता है तथा मध्य छत्तीसगढ़ (दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर) में कम पाया जाता है। यह कार्य मुख्य रूप से समाज के निर्बल वर्ग के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिनमें 90 प्रतिशत व्यक्ति अनुसुचित

जाति जनजाति तथा आदिवासी परिवारों के होतें है।

राज्य में संग्रहण का मौसम अप्रैल के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर जुन के दूसरे सप्ताह तक चलता है। राज्य में तेंदूपत्तो की सबसे अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन होता है जिसका उपयोग बीड़ी और तंबाकू के आवरण के रूप में किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता

छत्तीसगढ़ भारत का अग्रणी राज्य है, जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले तेंदू (डायोस्पायरोस मेलानॉक्सिलीन) पत्तों का उत्पादन करता है। तेंदू के पत्तों का उपयोग बीड़ी (सिगरेट का ग्रामीण रूप) के आवरण के रूप में किया जाता है। तेंदू के पत्तो का उत्पादन लगभग 16.72 लाख मानक बोरा प्रतिवर्ष होता है, जो देश के कुल तेंदू पत्ते उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में तेंदू पत्तों के मानक बोरे में 50 पत्तों के स्पष्ट बंडल होते हैं। छत्तीसगढ़ में संग्रहण का मौसम अप्रैल के तीसरे सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक होता है। राज्य के उत्तरी भाग के तुलना में दक्षिणी भाग में संग्रहण का मौसम पहले शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2004 में एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया कि गोदाम में रखे पत्तों को बेचने के बजाय क्रेता को अग्रिम रूप से हरे पत्ते बेचे जाते है। क्रेता पत्तियों को संग्रहण केन्द्र पर ले जाकर परिवहन करेगा तथा अपने गोदामों अथवा राज्य के अंदर वन विभाग संघ के गोदामें में डबल लौक में भण्डारित करेगा। क्रेता क्रय मूल्य का भुगतान चार बराबर किश्तों में करेगा तथा उसके अनुसार पत्तियां क्रेता को जारी की जाएंगी। इस नीति के लागू होने के बाद अधिकांश पत्तियों की बिक्री क्रेता को अग्रिम रूप से हो चुकी है साथ ही प्राप्त औसत बिक्री दरें भी बेहतर है। संक्षेप में कहे तो तेंदूपत्ता व्यापार नीति में परिवर्तन के अच्छे परिणाम सामने आए है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप वर्ष 2024 में तेंदूपत्ता संग्रहण की अवधि बढ़ाकर 15 दिन किए जाने से अधिक से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार लाभान्वित हुये है।

- वर्ष 2024 में 13.05 लाख संग्राहक परिवारों के लगभग 60 लाख लोगो ने तेंदूपत्ता का संग्रहण किया।
- प्रति मानक बोरा 5500 रूपये की दर से 855.80 करोड़ रूपये का पारिश्रमिक भुगतान हुआ।
- वर्ष 2024 में 15.56 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित जो कि वर्ष 2023 में संग्रहित 12.94 लाख मानक बोरा से 2.92 लाख मानक बोरा अधिक है।

तेंदूपत्ता की तोड़ाई

तेंदू के पत्तो के संग्रहण और प्रसंस्करण की प्रक्रिया लगभग मानकीकृत हो चुकी है और लगभग एक ही प्रक्रिया हर जगह अपनाई जाती है। फरवरी और मार्च के महीनों में तेंदू के पौधों की छटाई की जाती है और लगभग 45 दिनो के बाद परिपक्व पत्तियों को एकत्र किया जाता है।

तेंदूपत्ता कार्य योजना

तेंदूपत्ता कार्य प्रारंभ से पूर्व प्रत्येक वर्ष माह जनवरी/फरवरी में संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक अपने अधीन क्षेत्र के तेंदूपत्ता विदोहन/ निस्तारण क्षेत्रीय प्रबन्धक स्वकृत परियोजना के आधार पर निम्न कार्यवाहियां करेंगेः

- कार्य संचालन हेतु आवश्यक कर्मिको का विवरण तैयार कर अतिरिक्त कर्मिको की मांग प्रबंधक निदेशक को प्रेषित करना।
- विभिन्न प्रयोज्य सामग्रियों एवं लेखन प्रपत्रों की आवश्कता की गणना करना एवं आपूर्ति की कार्यवाही मुख्यालय द्वारा की जाएगी।
- कर्मिको की तैनाती।
- कार्यारंभ से पूर्व प्रमाणिय लौगिंग प्रबंधको की बैठक आयोजित कर तेंदूपत्ता कार्य संचालन हेतु निर्देश करना।
- तेंदूपत्ता कल्चर हेतु क्षेत्रों का चयन कर मुख्यालय से प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही तथा कल्चर कार्य तेंदूपत्ता तुडान 45 दिन पूर्व संपादित कराना।

तेंदू पत्ता संग्रहण, भण्डारण और विपणन

तेंदूपत्तों के संग्रह और प्रसंस्करण की प्रक्रिया लगभग मानकीकृत हो गई है और लगभग सभी जगह एक ही प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तेंदू के पौधों की फरवरी और मार्च का महीनों में छटाई की जाती है और लगभग 45 दिनों के बाद परिपक्व पत्तियों को अलग किया जाता है। पत्तियों को 50 से 100 पत्तियों के बंडलो में एकत्र किया जाता है, जिन्हें लगभग एक सप्ताह तक धूप में सूखाया जाता है। सूखे पत्तो को नरम करने के लिए उन पर पानी का छिड़काव किया जाता है और फिर जुट के बोरे में भरकर 2 दिनों तक सीधी धूप में रखा जाता है। यह संवेदनशील उत्पाद है और इनमें से किसी भी प्रक्रिया के दौरान थोड़ी सी भी गलती या अनदेखी उसकी गुणवत्ता खराब कर सकती है और यह बीड़ी बनाने के लिए अनुपर्युक्त हो जाता है।

मध्यप्रदेश सरकार ने 1964 में एक अधिनियम बनाकर तेंदूपत्ते के व्यापार को अपने हाथ में लिया। वनवासियों को तेंदूपत्ते के संग्रहण और व्यापार में अधिक लाभ देने के लिए 1984 में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार और विकास) सहकारी संघ मर्यादित का गठन किया गया। 1988 में राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता के व्यापार में सहकारी समितियों को शामिल करने का निर्णय लिया। इसके लिए त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना तैयार की गई। इस संरचना के शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश लघु राज्य वनोपज संघ को रखा गया, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां गठित की गई, द्वितीयक स्तर पर जिला वनोपज सहकारी संघो का गठन किया गया।

तेंदू पत्ता व्यापार के आंकड़े

वर्ष	संग्रहण	प्रति 50 संग्रहण दर	संग्रहण मजदुरी	विक्रय कीमत	निपटाई गई मात्रा	व्यय	शुद्ध प्राप्ति
2012	26.06	750	195.45	618.40	26.06	245.94	372.56
2013	19.92	950	189.28	394.18	19.92	247.04	147.77
2014	16.99	950	161.42	310.09	1699	217.39	092.70
2015	16.05	950	152.47	329.27	16.05	216.06	113.20
2016	18.56	1250	232.07	627.25	18.56	297.82	329.42
2017	23.36	1250	292.00	281.56	23.36	856.87	920.33
2018	19.14	2000	382.80	814.42	19.14	452.03	422.39
2019	21.04	2500	526.00	815.12	21.04	617.13	198.79
2020	15.88	2500	397.00	595.14	15.88	483.68	011.43
2021	16.60	2500	415.00	848.34	16.60	496.58	346.76
2022	18.03	3000	540.93	1116.35	18.03	646.50	469.85
2023	12.02	3000	362.04	620.83	12.02	-	-

{स्त्रोतः छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ लिमिटेड}

छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण समितियां

तेंदू पत्तों का संग्रह तेंदू पत्तों के वास्तविक संग्रहकर्ताओं की प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। राज्य में 15000 से अधिक संग्रहण केन्द्र है, संग्रहण का काम मौसमी है। यह लगभग 6 सप्ताह तक कभी भी शुरू हो सकती है। मानसुन की शुरूआत से पंद्रह दिन पहले संग्रहण बंद हो जाता है ताकि पत्तियों को ठीक किया जा सके और सुरक्षित रूप से गोदामों तक पहुचाया जा सके।

क्र.	जिला का नाम	सहकारी समितियों की संख्या
01	बीजापुर	28
02	सुकमा	25
03	दंतेवाड़ा	07
04	जगदलपुर	15
05	कोण्डागांव	13

06	नारायणपुर	08
07	कांकेर	21
08	केशकाल	16
09	भानुप्रतापपुर	83
10	राजनांदगांव	50
11	बालोद	17
12	कवर्धा	19
13	धमतरी	26
14	सूरजपुर	30
15	बलरामपुर	42
16	सरगुजा	14
17	कोरिया	17
18	जशपुर	24
19	कोरबा	38
20	रायगढ़	53
21	बिलासपुर	21
22	बलौदा बाजार	24
23	महासमुंद	75
24	गरियाबंद	70
25	धमतरी	26
26	खैरागढ़	20
27	मरवाही	16
28	जांजगीर चापा	07
29	धरमजयगढ़	59
30	कटघोरा	44
31	मनेन्द्रगढ़	15

{स्त्रोतः छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ लिमिटेड}

चित्र क्रमांक 01: संभागवार तेंदूपत्ता संग्रहण समितियां

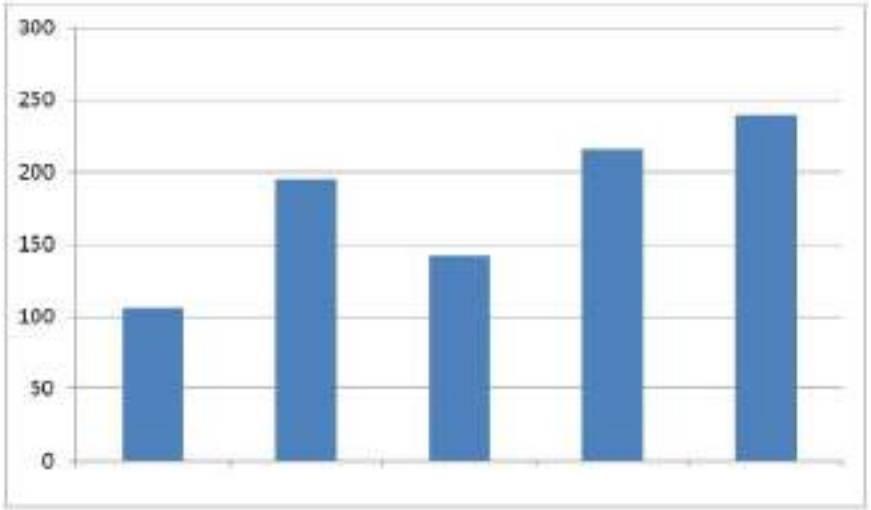

चित्र क्रमांक 02: तेंदूपत्ता संग्रहण दर राशि प्रति मानक बोरी

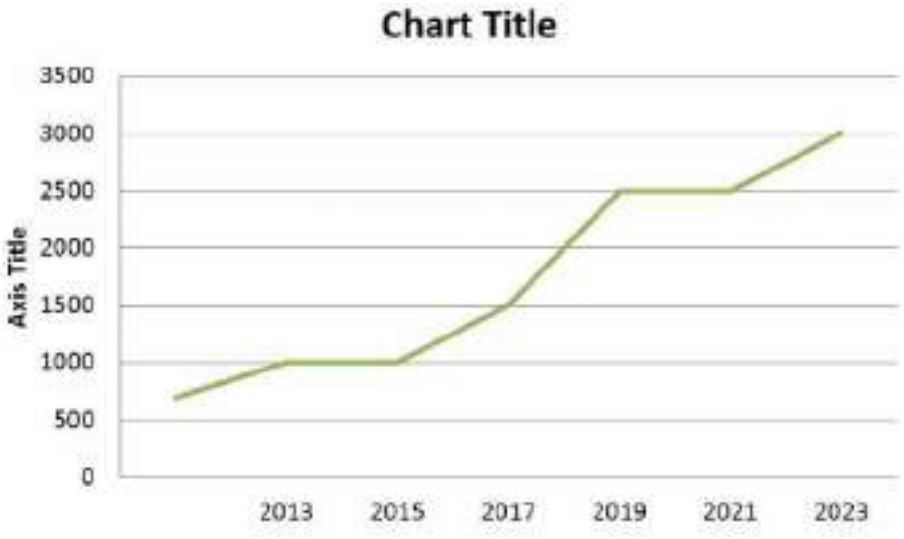

सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना

हितग्राहियो के लिए योजना

- जन श्री बीमा योजना।
- समूह बीमा योजना।
- अटल समूह बीमा योजना।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।

हितग्राहियो के बच्चो के लिए योजना

- शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
- मेधावी छात्र को पुरस्कार।
- व्यवसासिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति।
- गैर व्यवसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति।
- प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना।

संग्राहको के लिए बीमा योजना

सभी तेंदूपत्ता संग्राहक जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है और जिनके परिवारों ने पिछले दो वर्षों से कम से कम एक वर्ष में 500 या अधिक गड्डी तेंदूपत्ता संग्रहित किया है, निम्नलिखित बीमा–योजना के अंतर्गत बीमा किया जाता है:

1. **जनश्री बीमा योजना**: यह योजना सभी तेंदूपत्ता संग्राहको के लिए है।

   लागु: 01.05.2007 से

   लाभ सामान्य मृत्यु – 30,000,

   आंशिक विकलांगता – 37,500

   दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता – 75,000

2. **समूह बीमा योजना**: यह सभी तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पुरानी बीमा योजना है। इस योजना में परिवार के मुखिया को छोड़कर 18 से 59 वर्ष की आयु के अन्य सदस्य इस योजना को अटल समूह बीमा योजना में समाहित कर दिया गया है। इसकी शुरूआत 01.03.2018 को हुई थी।

   लाभ सामान्य मृत्यु – 35000

   आंशिक विकलांगता – 12500

   दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता – 25000

3. **अटल समूह बीमा योजना**

प्रारंभ– 2011–12 से

इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 6500 रूपये दिए जाते है। 01.03.2018 से नामांकित व्यक्ति को 10,000 रूपये दिए जाते है।

4. **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना**

प्रारंभ – 01 जुन 2015

योजना दुर्घटना मत्यु के लिएः

- **पात्रताः** 18 से 70 वर्ष की आयु के उन लोगो के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता है।
- **प्रीमियमः** 2 रूपये प्रति वर्ष
- **जोखिम कवरेजः** आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रूपया और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रूपये।

शिक्षा प्रोत्साहन योजना

प्रारंभ	योजना	परीक्षा	वर्ष	पुरस्कार राशि
2011–12	मेधावी छात्र के लिए	8 वी 10वी 12वी	प्रत्येक – –	2000 2500 3000
2011–12	व्यवसायिक शिक्षा के लिए	12वी के बाद मेडिकल, इंजिनियर, कानून आदि	प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ	10000 5000 5000 5000
2012–13	गैर व्यवसायिक शिक्षा के लिए	स्नातक, बीए,बी.एससी, बी.कॉम	प्रथम द्वितीय तृतीय	5000 4000 3000
2012–13	प्रतिभाषाली छात्रों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना	10वी 12वी विद्यार्थी को 75% से अधिक अंक	प्रत्येक वर्ष	15000 / 25000

समस्या और समाधान

इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों से संग्राहको को लाभ न हुआ हो। हालांकि ऐसे उपायों का वास्तविक क्षेत्र स्तरीय प्रभाव विभिन्न कारणों से काफी कम हो जाता है। ये कारण निम्नलिखित हैः

समस्याएं

1. **संग्रहण संबंधी गलत प्रथाएंः** संग्रह से पहले आग लगाना, झाड़ियों को काटने देखभाल करने और सफाई करने की अनुचित वनसंर्वधन तकनीके, गुणवत्ता और उत्पादकता को कम करती है।
2. **कटाई के बाद उचित उपचार का अभावः** तेंदू के पत्तों की सफाई, छटाई और सूखने के कारण कुल संग्रहण में से बहुत अधिक मात्रा मे बर्बादी होती है इसलिए इसके लिए अधिक अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

3. **प्रसंस्करणः** तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाने का काम महिलाओं और बच्चों द्वारा तंबाकू के प्रसंस्करण के कारण अत्याधिक अस्वथ्यकर वातावरण में होता है। प्रसंस्करण कर्ताओं के पास मास्क और दस्ताने जैसे सरल सुरक्षा उपाय भी उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः तेंदू के पत्तों का कोइ अन्य वैकल्पिक उपयोग या उत्पाद विविधिकरण नहीं है।

समाधान

1. उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि के लिए राज्य वन विभाग को समय पर वन संवर्धन कार्य जैसे झाड़ियों की कटाई, विरलीकरण एसएमसी और जैविक दबाव से सुरक्षा आदि का क्रियान्वयन करना चाहिए।
2. वन विभाग/अनुसंधान संस्थानों द्वारा पत्ती आवरण की बर्बादी को कम करने उचित भंडार रख रखाव और परिवहन के लिए उपर्युक्त प्रौद्योगिकी विकसित किये जाने की आवश्यकता है।
3. सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बीड़ी इकाइयों को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए संग्राहको को बीड़ी रोलर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ताकि रोलर्स को तैयार उत्पाद पर मूल्य मिल सके।

निष्कर्ष

वर्तमान में तेंदूपत्ता द्वारा संग्राहको एवं इससे संबंधित कार्य या व्यवसाय करने वालो को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है और लाभ कमाने के लिए हमें तेंदूपत्ता के उपयोग के क्षेत्र को विस्तृत करना होगा। जैसे– अधिकाधिक लोग यह जानते है कि इसका उपयोग बीड़ी बनाने हेतु किया जाता है, किन्तु भविष्य में धुम्रपान निषेध कार्यक्रम चलता है तो उपयोगिता प्रकट करने होंगे जिससे भविश्य में भी इसकी उपयोगिता बनी रहे व इसके संग्रहण का कार्य बहुतायत मात्रा में आदिवासी संग्राहको द्वारा किया जाता है। उनकी भी आय में वृद्धि हो और निरंतर उन्नति होती रहे।

इस हेतु हमें इसके अन्य गुण और उपयोगिता प्रकट करने होंगे, जैसे – इसके औषधीय गुण आंख संबंधी रोग, कान के दर्द से राहत में, मुंह के छाले में फायदेमंद, खांसी में फायदेमंद, लकवा से राहत इत्यादि और भी चिकित्सीय गुण इसके है। इनके बारे मे सभी को जागरूकता कर इसकी महत्ता बढ़ा सकते है। हमने तेंदुपत्ता के संग्रहण, भण्डारण और विपणन संबंधी समस्याओं और समाधान का भी अध्ययन किया। अतः हमें संग्राहको को इसके प्रति जागरूक करना होगा ताकि वे अधिकतम पैदावार कर सके व उचित लाभ प्राप्त कर अपने व अपने परिवार का उचित ढ़ंग से भरण–पोषण कर सके।

संदर्भ सूची

1. Uttar Pradesh forest corporation, upforestcarporation.co.in, Assessed on 10/11/2024.
2. Chhattisgarh mfpfed, www.cgmfpted.org/new/, Assessed on 08/11/2024.
3. Madhypradesh state minor forest produce FEDERATION Tendu Patta, mfpfederation.org, Assessed on 08/11/2024.
4. Internation Institute for Environment, www.lied.org > migrate, Assessed on 10/11/2024.
5. Verma, Uday Kumar; Rehman, M. M. (2005) *Tobacco, Tendu Leaf, and Beedi Workers in India,* Shipra, The University of Michigan, United States.

––==00==––